न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2023/80

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
1. अमराराम पुत्र केनाराम 2. मोहनलाल पुत्र केनाराम 3. भंवरलाल पुत्र रूपाराम 4. बचनाराम पुत्र रूपाराम 5. दुदाराम पुत्र रूपाराम जातियान कुम्हार निवासीगण बेरा भगतडी पिपलियाकलां तहसील रायपुर जिला पाली		1. मृतक लुम्बाराम वल्द हरजी के वारिसान – 1/1 हापुराम पुत्र लुम्बाराम 1/2 तुलसाराम पुत्र लुम्बाराम 1/3 भुराराम पुत्र लुम्बाराम 1/4 मुकनाराम पुत्र लुम्बाराम 1/5 मृतक चन्दुराम पुत्र लुम्बाराम के वारिसान 1/5/1 नरेन्द्र पुत्र चन्दुराम 1/5/2 सुरेन्द्र पुत्र चन्दुराम जतियान कुम्हार निवासीगण बेरा भगतडी पीपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली 1/6 केलकी पुत्री लुम्बाराम पत्नी सुजाराम जाति कुम्हार निवासी बेरा स्वरूप वाली पीपलिया कलां तहसील रायपुर 1/7 बुधकी पुत्री लुम्बाराम पत्नी अमराराम जाति कुम्हार निवासी बेरा शिवसागर निम्बेडा तहसील रायपुर जिला पाली 1/8 जिमनाई पुत्री लुम्बाराम पत्नी भंवरलाल जाति कुम्हार निवासी बेरा गुडीया झाझणवास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 2. तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील सोजत

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1 से 1/4, 1/5/1 एवं 1/7 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

3. रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

—: निर्णय :—

दिनांकः— 12/08/2025

अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम गुडाबछराज पटवार हल्का मुरडावा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 28.05.1981 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1/5/2, 1/6 एवं 1/8 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम गुडा बच्छराज पटवार हल्का मुरडावा में खसरा संख्या 751, 752, 755, 756 की कृषि भूमि आई हुई है, जिसमें जमाबन्दी सम्वत् 2033/52 के अनुसार हरजी वल्द लाला का 1/3 हिस्सा, चतरा वल्द भाना का 1/3 हिस्सा एवं तारा वल्द धुला का 1/3 हिस्सा कौम कुम्हार साकिन पिपलिया के नाम खातेदारी कब्जा काश्त है। हरजी वल्द लाला अपीलाण्ट एव रेस्पोडेण्ट के दादा थे एवं उनका निर्वसीयती स्वर्गवास हो चुका है। हरजी के चार पुत्र लुम्बाराम, रूपाराम, मालाराम, केनाराम है, जिनका जैर आराजी में बराबर हक अधिकार है। अपीलाण्ट केनाराम एवं रेस्पोडेण्ट लुम्बाराम के पुत्र है। जैर नामान्तरकरण लुम्बाराम वल्द हरजी अकेले के नाम दर्ज कर दिया जबकि अन्य पुत्र रूपाराम, मालाराम व केनाराम थे तथा सभी विधिक वारिसान उनके हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिये बिना विधिविरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया। हरजी की जैर आराजी के अलावा अन्य भूमि भी है, जिसमें सभी चारों भाईयों के पक्ष में नामान्तरकरण भरा गया। अपीलाण्ट ने जब जैर आराजी पर नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया तब अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई और दिनांक 15.01.2023 को नकल प्राप्त अन्दर म्याद अपील पेश की। अतः जैर अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी हरजी वल्द लाला की थी, जिसमें सभी वारिसानों की सहमति से अपीलाधीन आदेश लुम्बाराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया तथा हरजी के देहान्त के पश्चात् जैर आराजी पर लुम्बाराम का ही कब्जा काश्त है एवं वर्तमान में भी उनके द्वारा ही उपभोग उपयोग किया जा रहा है। अपीलाण्ट ने अपनी अपील मीमों में अंकित किया कि दिनांक 15.08.2021 को पटवारी हल्का से सम्पर्क किया और वर्ष 2023 में प्रमाणित प्रति प्राप्त की। अपीलाण्ट ने जैर अपील अपीलाधीन आदेश पारित होने के 42 वर्ष पश्चात पेश की, जो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कि म्याद बाहर है। अतः अपीलाण्ट द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर अपील को खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों, मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम गुडाबछराज पटवार हल्का मुरडावा के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 28.05.1981 के विरूद्ध पेश की है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र पर निर्णय में उचित समझते है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने म्याद प्रार्थना–पत्र में यह तथ्य अंकित किया कि अपीलाण्ट ने अपने पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण करवाने हेतु पटवारी से सम्पर्क किया एवं नकले प्राप्त करने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। इसलिये उक्त अपील को अन्दर म्याद शुमार फरमाई जावे। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के उपरोक्त उज्रों का खण्डन करते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण की जानकारी वर्ष 2021 में हो गयी थी उसके उपरान्त उन्होनें वर्ष 2023 में जैर निगरानी याचिका पेश की। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में यह अंकित किया कि उनके पिता का स्वर्गवास दिनांक 15.08.2021 को हो चुका है और स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधिवक्ता अपीलाण्ट ने उक्त दिनांक के पश्चात् किसी दिवस पर पटवारी से सम्पर्क किया। उक्त कथनों का अर्थ कतई यह नहीं है कि अपीलाण्ट द्वारा उसी रोज पटवारी से सम्पर्क किया गया हो और ना ही अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश किये जो यह ताईद करे कि अपीलाण्ट को उसी रोज दिनांक 15.08.2021 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई हो। साथ ही न्यायालय की दृष्टि से न्याय "Justice oriented approach" का होना चाहिये तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने कई बार कहा हैं कि देरी, न्याय से वंचित करने का आधार नहीं बननी चाहिए एवं यदि उत्तरदाता को कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा हो और मामला वास्तविक हो, तो कोर्ट देरी माफ कर देता हैं। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त N. Balakrishnan vs M. Krishnamurthy (1998) 7 SCC 123 के अनुसार विलम्ब की अवधि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उस देरी के लिए दी गई वाजिब और ईमानदार वजह, यदि याचिकाकर्ता की मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं है और कारण पर्याप्त है, तो देरी माफ की जा सकती हैं अर्थात् न्यायालय ने कहा कि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

यदि स्पष्टीकरण विश्वसनीय है, तो देरी की अवधि लम्बी होने के बावजूद उसे स्वीकार किया जा सकता हैं। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Collector, Land Acquisition vs Mst. Katiji & Others (1987 Air 1353) के अनुसार देरी को लेकर न्यायालय को उदारतापूर्वक (liberally) विचार करना चाहिए, जब तक यह स्पष्ट न हो कि याचिकाकर्ता ने जानबूझकर या लापरवाही से देरी की, तब तक देरी को माफ किया जा सकता हैं। यह माना गया कि: "विवादी विलम्ब से अपील दायर कर कोई लाभ नहीं प्राप्त करता हैं, केवल तकनीकी आधार पर योग्य वाद को प्रारम्भ में ही खारिज करना न्यायसंगत नहीं है" अर्थात् उच्चतम न्यायालय ने न्यायोन्तुख दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी, कि Delay Condonation का जिक्र करते समय Substantial Justice को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी प्रकार माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टान्त Chandrabhaga Ladkya Choudhary vs Gajanan Arjun Gondhale (Maharashtra, 2024) में लगभग 52 साल की देरी थी, जिसमें SDM एवं Collector की ओर से अपील खारिज की गई, लेकिन Additional Commissioner ने न सिर्फ delay condone किया, बल्कि कहा कि "अगर मामला मेरिट में मजबूत हो, तो delay अस्वीकार्य नहीं होना चाहिए" और प्रकरण को पुर्नश्रमण के लिए वापस भेजा गया अर्थात् अपीलाण्ट के देरी के कारण उचित न हो, लेकिन मामला मजबूत हो और मूलधारात्मक रूप से वैध हो और प्रथमश्रेणी के अधिकार न्यायसंगत हो, तो न्यायालय देरी को Condone कर सकता है। साथ ही न्यायिक नजीर 2020(3) DNJ (SC) 817, 2011(1) RRT page 432, 2006 RRD 20 में यह निर्धारित किया गया कि नामान्तरकरण में विधिक वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित निर्णय के सन्दर्भ में यदि प्रभावित पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई हो तो मियाद गौण होती हैं तथा 1994 RRD 215 में यह वर्णित किया गया है कि प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिये बिना जारी आदेश अविधिक होता है तथा उसे कभी भी अपास्त किया जा सकता हैं। यह निर्णय बताता है कि न्यायालयों को सामान्यतः देरी को क्षमा करने के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रूख रखना चाहिए।

यहां माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स ईस्टर्न मशीन ब्रिक्स एंड टाईल्स इंडस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त को उद्धत करना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि "ऑडी अल्टरम पार्टम, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का एक हिस्सा है, उसकी जड़ें मुख्य रूप से समानता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विचार में पाई जाती हैं। यह सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि किसी को भी निष्पक्ष और उचित सुनवाई के बिना निंदा, दंडित या उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह मनमाने ढंग से निर्णय लेने के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कार्य करता है, उचित प्रक्रिया के सिद्धान्त को कायम रखता है, जबकि न्यायसंगत और न्यायसंगत कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है।" हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने जैर अपील लगभग 42 वर्ष पश्चात् पेश की है परन्तु प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं होते जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर अपील

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्तुत करने में अपीलाण्ट की मंशा दुर्भावनापूर्ण रही हों, साथ ही म्याद एक तकनीकी बिन्दु है तथा न्यायालय की दृष्टि से न्याय "Justice oriented approach" का होना चाहिये एवं अपीलाण्ट की मंशा दुर्भावनापूर्ण नहीं होना भी म्याद को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। साथ ही जब नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तद्नुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह था कि ग्राम पीपलीयाकला तहसील रायपुर में भी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के पिता हरजी की खातेदारी भूमि जिसके खसरा संख्या 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 है, जिसमें फौतेदगी नामान्तरकरण से सभी वारिसानों का नाम इन्द्राज किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि उपरोक्त खसरान् सभी वारिसानों के हिस्से में इन्द्राज किया गया लेकिन अपीलाधीन आदेश के जरिये जिस नामान्तरकरण को चुनौती दी गयी है वह सभी की सहमति से स्वीकृत किया गया है इसलिये केवल रेस्पोडेण्ट के पक्ष में स्वीकृत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पीपलीयाकला की जमाबन्दी सम्वत् 2077 के अनुसार खसरा संख्या 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75 की आराजी में हरजी के सभी वारिसानों का नाम इन्द्राज हो रखा है, जो कि अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों की ताईद करता है। जैर नामान्तरकरण के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हरजी फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण केवल उनके पुत्र लुम्बा के पक्ष में स्वीकृत किया गया। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का उज्र कि प्रश्नगत नामान्तरकरण सभी पुत्रों की सहमति से भरा गया है परन्तु उनके द्वारा अपने कथन कि ताईद में ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये जो उनके कथनों को बल दे सके। प्रकरण में अपीलाण्ट् जो कि मृतक हरजी के पुत्र के पुत्र है, उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 24 को उनके पिता केनाराम प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट के पिता के विधिक उत्तराधिकारी/वारिशान होने के तथ्य को भी किसी रूप में नकारा नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में सभी पुत्र शामिल होते है परन्तु इस प्रकरण में मृतक हरजी की विरासत में जैर आराजी में उनके सभी पुत्रों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि उनके द्वारा ऐसी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन नामान्तरकण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम गुडाबछराज पटवार हल्का मुरडावा तहसील सोजत के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 28.05.1981 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 12/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली